125 - 126

(A9)

RBE NO. 177.../2000

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

.....

No.E(NG)I-2000/PM5/14 New Delhi, dated 11-10-2000

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.
(As per standard list)

Sub:- Filling up of the posts of Technical Supervisors in USFD Wing in the Civil Engg.

In Para 3.1(a) of the guidelines for controlling rail fractures circulated along with the then Member Engineering, Railway Board's D.O. letter No.89/CL/II/PRA/65 dated 3.8.90, it was, *inter-alia* stipulated that all posts of PWIs/USFD (since redesignated as JE-Gr.II/JE-Gr.I/Section Engineer/Sr.Section Engineer/USFD) should be operated as ex-cadre posts. The information collected from some of the Railways has revealed that the present practice on different Railways in this respect is not uniform.

2. The matter has been considered by the Board and it has been decided that the posts being operated in USFD Wing may be operated as ex-cadre posts.

Please acknowledge receipt.

(M.D.Pillai)
Joint Director Estt.(N)-II
Railway Board

...2/-

No. E(NG)I-2000/PM5/14 New Delhi, dated 11 -10-2000

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All India Railwaymen Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E , Rail Bhavan, New Delhi(with 35 spares).

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (With 5 spares).

for Secretary / Railway Board.

Copy to:-

PSs to MR,MSR(D),MSR(OR)
PPSs to CRB, FC,MS,MM,MT,ML,ME.
PPSs to_AM(S),DG/RHS,DG/RPF, ADG(DS).

PSs to EDE,EDV,EDE(N),EDE(Res),EDA,EDE(IR),EDE(RRB) EDPCI&II,D(MPP),DPC,DE(Res),JDE(R) I&II,JDE(Rep),JDE(D&A), JDPC,JDE(L),DDE(R)I&II,DD(Code Revision), DDE(LR)I, JDE(N)II, DDE(N)-II,E(NG)II,E(O)III,E(GR)II,E(Rep)I, II&III, E(SCT)I&II, E(MPP),SEC(E), PR Branch,E(G) with two spares, AC-III(with 15 spares), Code Revision Cell (with 5 spares).

.....

अन्तर. पी. ई. सं. 177 /2000

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई. (एन. जी.) I-2000/पी. एम. 5/14 नई दिल्ली, दि. 11.10.2000

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: सिविल इंजीनियरी में यू. एस. एफ. डी. विंग में तकनीकी पर्यवेक्षकों के पदों को भरना.

पूर्व सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड के दिनांक 3.8.90 के अ. ज्ञा. पत्र सं. 89/सी. एल./11/पी आर ए/65 के साथ परिपत्रित पटरी के टूटने पर नियंत्रण रखने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत के पैरा 3.1 (क) में अन्य बातों के साथ-साथ यह नियत किया गया था कि रेलपथ निरीक्षकों/यू एस एफ डी के सभी पदों को (अब क. ई-ग्रेड-II/क. इं.-ग्रेड I/सेक्शन इंजीनियर/ वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/यू एस एफ डी के रूप में पुनः पदनामित किया गया है।) संवर्गबाह्य पदों के रूप में परिचालित किया जाना चाहिए। कुछ रेलों से प्राप्त की गई सूचना से पता चला है कि इस संबंध में विभिन्न रेलों पर वर्तमान पद्धति एकसमान नहीं है।

2. बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि यू एस एफ डी विंग में परिचालित किए जा रहे पदों को संवर्गबाह्य पदों के रूप में परिचालित किया जाए।

कृपया पावती दें।

(एम. डी. पिल्लै)
संयुक्त निदेशक स्थापना (अराज पत्रित) II,
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (एन.जी.) I-2000/पी एम 5/14 नई दिल्ली, दि. 11.10 2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. महा सचिव, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)
2. महा सचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
4. महा सचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महा सचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड.